कार्यालयः वन प्रमण्डल पदाधिकारी, जमशेदपुर वन प्रमण्डल, जमशेदपुर।

(सी० एच० एरिया रोड नं० 1, जमशेदपुर–831001)

दूरभाष संख्या– 0657–2231017, फैक्स–0657–2231017, ई–मेल– dfo-jamshedpur@gov.in

पत्रांक:........................ / जमशेदपुर   दिनांक:..............................

प्रेषक,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमण्डल,
जमशेदपुर।

सेवा में,

विमानपत्तन निदेशक,
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण,
बिरसा मुण्डा विमानपत्तन,
राँची।

विषय :– धालभूमगढ़ हवाईअड्डा के विकास हेतु 99.256 हेक्टर वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :–
1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 652 दिनांक 23.06.2023 एवं पत्रांक 798 दिनांक 01.08.2023
2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर का ज्ञापांक 1191 दिनांक 05.07.2023
3. वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर का ज्ञापांक 761 दिनांक 07.07.2023
4. इस कार्यालय का पत्रांक 1473 दिनांक 11.07.2023 एवं आपका पत्रांक 12218 दिनांक 25.07.2023

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में सूचित करना है कि विषयान्तर्गत प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रस्ताव के संबंध में की गई पृच्छाओं के निराकरण के संबंध में समर्पित अनुपालन प्रतिवेदनों का जाँचोपरांत प्रस्ताव में पुनः त्रुटियाँ पाई गई है, जो निम्नवत् है :–

पृच्छा संख्या	विसंगति	अनुपालन प्रतिवेदन
3.	प्रस्तावित वन भूमि एवं गैर–वनभूमि का KML File CD के रूप में समर्पित किया गया है। जाँचोपरांत CD के रूप में समर्पित KML कुल 99.292 हे० का है जो कि प्रस्तावित एरिया के लगभग में है तथा स्वीकार योग्य है। किन्तु Form-A, Part-I Online में मात्र 61.2603 हे० का KML File Uploaded है जो की प्रस्तावित रकबा से लगभग 38 हे० कम का है। अतएव, Online uploaded KML File में सुधार अपेक्षित है।	आपके पत्रांक 12218 दिनांक 25.07.2023 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि संबंधित त्रुटि का निराकरण कर KML File Parivesh Portal पर अपलोड कर दी गई है, जबकि परिवेश पोर्टल के Online Part-I में संबंधित संशोधित सूचनायें दृष्टिगत नहीं हो रही है। अतः इसे पुनः Upload किया जाय एवं तत्संबंधी प्रतिवेदन समर्पित किया जाय।
5.	FRA प्रमाण–पत्र एवं ग्राम सभा की कार्यवाही की प्रति समर्पित नहीं की गई है।	वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत् संबंधित उपायुक्त का प्रमाण पत्र एवं ग्राम सभा की कार्रवाई की प्रति समर्पित नहीं किया गया है। अतः इसे अविलम्ब समर्पित किया जाय।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त वर्णित त्रुटियों का निराकरण करते हुए प्रतिवेदन Hard Copy में वांछित अभिलेखों सहित समर्पित किया जाय तथा इसे Online भी अपलोड किया जाय ताकि प्रस्ताव के संबंध में अग्रेतर कार्रवाई की जा सके।

विश्वासभजन

ह०/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमंडल,
जमशेदपुर।

ज्ञापांक :– दिनांक :–

प्रतिलिपि :– वन संरक्षक प्रादेशिक अंचल, जमशेदपुर/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सिंहभूम रीजन, जमशेदपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०/–
वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमंडल,
जमशेदपुर।

ज्ञापांक :– 1758 दिनांक :– 07/08/2023.

प्रतिलिपि :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

7/08/2023

वन प्रमंडल पदाधिकारी,
जमशेदपुर वन प्रमंडल,
जमशेदपुर।

D:\Amin-Section\Amin-Section\Application\Amin airport 07.08.2023.docx